राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	अंतिम निर्णय दिनांक
251/2018	30.10.2018	25.9.25

उनवानः

1. श्रीकिशन उम्र 62 वर्ष पुत्र श्री सोमदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रायसराना तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। ....वादी

बनाम

1. नरेन्द्र पुत्र सोमदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रायसराना तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. सतेन्द्रसिंह पुत्र श्री कृष्णसिंह जाति राजपूत निवासी विराहडा तहसील व जिला रेवाडी हरि0।
3. हनुमानसिंह पुत्र श्री ईश्वरसिंह जाति राजपूत निवासी विराहडा तहसील व जिला रेवाडी हरि0।
4. भूपेन्द्रसिंह पुत्र श्री ईश्वरसिंह जाति राजपूत निवासी विराहडा तहसील व जिला रेवाडी हरि0।
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांढण
6. उप पंजीयक मांढण तह0 मांढण .....प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक, तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितीः–श्री पीताम्बर योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से

।। निर्णय ।।

आज यह पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खसरा नम्बर हाल 534 रकवा 0.27 है0, 546 रकवा 0.24 है0, 560 रकबा 0.60 है0, 561 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम रायसराना तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड मे स्थित है जिसके मिन वादी हिस्सा–31/280 तथा प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा–567/3920 व प्रतिवादी सं0 2 लगा0 4 का हिस्सा–417/560 है इसी अनुसार आराजी मुतनाजा पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है। उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड मे बिना बटी हुई सहखातेदारी की आराजी है। लेकिन मौके पर सभी खातेदार अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन अब प्रतिवादी सं0 1 लगा. 4 के मन मे बेईमानी आ गयी है जो आराजी मुतनजा का अच्छा से अच्छा विशेष पार्सन पर जबरन कब्जा कर व उसे अपना वताकर दिगर जगह मुन्तकिल करने व मौके पर जबरन कब्जा कर मौका की स्थिती मे परिवर्तन करने पर उतारू हो रहे है। इसलिए आराजी मुतनाजा मे मिन वादी के हिस्सा–31/280 का अलग से तकासामा किया जावे व अप्रार्थीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पावन्द किया जाने की प्रार्थना की गई ।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी सं0 1 लगा. 4 बावजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना के न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 01.10.19 को एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई एवं पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई ।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन मे साक्ष्य के रूप मे पी.ड.– 1 से 3 के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे दस्तावेज पेश किये गये। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई ।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई । वकील वादी द्वारा अपने दावा के तथ्यो की पुनरावर्ती करते हुऐ दावा मे वर्णित आराजी मे वादी के खातेदारी हिस्सा 31/280 का तकासमा किया जाकर, अलग से खातावन्दी किया जाने का तर्क दिये गये।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

हमने वकील वादी की बहस पर गहनता से मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्या का अवलोकन करने के उपरान्त पाया गया कि दावा विभाजन आराजी का है। इसलिए दावा मे वर्णित वादग्रस्त भूमि का विभाजन बिना कुर्रे प्रस्ताव के किया जाना सम्भव नही होने के कारण वादी के वाद को दिनांक 10.08.2021 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार मांढण को आदेशित किया गया कि उभय पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्ता संबंधि राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को दृष्टिगत रखते हुऐ विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय मे भिजवाई जावे।

तहसीलदार मांढण द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 10.08.2021 की पालना मे वादग्रस्त खसरा नम्बर 534 रकबा 0.27 है0, 546 रकबा 0.24 है0, 560 रकबा 0.60 है0, 561 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम रायसराना तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड की कुर्रे रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 04.04.2025 को तैयार करवाकर, इस न्यायालय मे दिनांक 01.05.2025 को पेश की गई। वकील वादी उपस्थित तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट के विरूद्ध कोई आपत्ति पेश नही की गई। इसलिए तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिर्पोट के आधार पर वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी,तहसीलदार मांढण द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 01.05.2025 के मुताबिक खसरा नम्बर 534 रकबा 0.27 है0, 546 रकबा 0.24 है0, 560 रकबा 0.60 है0, 561 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम रायसराना तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड की, तकसीम की डिक्री निम्न प्रकार से जारी की जाती है किः–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	श्रीकिशन पुत्र सोमदत्त सम्पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा गिगलाना मुर्तहन	546/1 तरफ उत्तर	0.17
		कुल किता–1 रकबा 0.17 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	नरेन्द्र पुत्र सोमदत्त सम्पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा गिगलाना मुर्तहन	534/1 तरफ पश्चिम	0.22
		कुल किता–1 रकबा 0.22 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	भूपेन्द्र पुत्र ईश्वरसिंह हि0–1/3 राजपूत सा0 चिराहडा खातेदार राहिन बी.ओ.बी. शाखा सक्तपुरा बावद मुर्तहन	546/2 तरफ दक्षिण	0.07
2.	हनुमानसिंह पुत्र ईश्वरसिंह हि0–1/3 राजपूत सा0 चिराहडा खातेदार राहिन बी.ओ.बी. शाखा सक्तपुरा बावद मुर्तहन	534/2 तरफ पुर्व	0.05
3.	सतेन्द्र पुत्र कृष्णसिंह हि0–1/3 राजपूत सा0 चिराहडा खातेदार राहिन बी.ओ.बी. शाखा सक्तपुरा बावद मुर्तहन	560	0.60
		561	0.42
		कुल किता–4 रकबा 1.14 है0	

उपरौक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 25.9.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0 251 / 2018 | तारीख रजू 30.10.2018 | अंतिम निर्णय दिनांक 25.9.25

उनवान:

1. श्रीकिशन उम्र 62 वर्ष पुत्र श्री सोमदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रायसराना तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। ....वादी

वनाम

1. नरेन्द्र पुत्र सोमदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रायसराना तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. सतेन्द्रसिंह पुत्र कृष्णसिंह जाति राजपूत निवासी विराहडा तहसील व जिला रेवाडी
3. हनुमानसिंह पुत्र श्री ईश्वरसिंह जाति राजपूत निवासी विराहडा तह0 व जिला रेवाडी
4. भूपेन्द्रसिंह पुत्र ईश्वरसिंह जाति राजपूत निवासी विराहडा तह0 व जिला रेवाडी
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांढण
6. उप पंजीयक मांढण तह0 मांढण

.....प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक, तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थिती:–श्री पीताम्बर योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी,तहसीलदार मांढण द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 01.05.2025 के मुताबिक खसरा नम्बर 534 रकबा 0.27 है0, 546 रकबा 0.24 है0, 560 रकबा 0.60 है0, 561 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम रायसराना तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड की, तकसीम की डिक्री निम्न प्रकार से जारी की जाती है कि:–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	श्रीकिशन पुत्र सोमदत्त सम्पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा गिगलाना मुर्तहन	546 / 1 तरफ उत्तर	0.17
		कुल किता–1 रकबा 0.17 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	नरेन्द्र पुत्र सोमदत्त सम्पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा गिगलाना मुर्तहन	534 / 1 तरफ पश्चिम	0.22
		कुल किता–1 रकबा 0.22 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	भूपेन्द्र पुत्र ईश्वरसिंह हि0–1 / 3 राजपूत सा0 चिराहडा खातेदार राहिन बी. ओ.बी. शाखा सक्तपुरा बावद मुर्तहन	546 / 2 तरफ दक्षिण	0.07
2.	हनुमानसिंह पुत्र ईश्वरसिंह हि0–1 / 3 राजपूत सा0 चिराहडा खातेदार राहिन बी. ओ.बी. शाखा सक्तपुरा बावद मुर्तहन	534 / 2 तरफ पुर्व	0.05
3.	सतेन्द्र पुत्र कृष्णसिंह हि0–1 / 3 राजपूत सा0 चिराहडा खातेदार राहिन बी. ओ.बी. शाखा सक्तपुरा बावद मुर्तहन	560	0.60
		561	0.42
		कुल किता–4 रकबा 1.14 है0	

उपरौक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.9.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)